

विज्ञापन

ताप विद्युत गृहों से उत्सर्जित/उत्पादित राख (पोंड एश) के निःशुल्क प्रदाय बाबत।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा ऊपरी मृदा खनन रोकने हेतु दिनांक 03 नवंबर 2009 को अधिसूचना जारी की गई है जिसके तहत संजय गाँधी ताप विद्युत गृह, बिरसिंहपुर से अवशिष्ट के रूप में उत्सर्जित/उत्पादित गीली राख (पोंड एश) "जहाँ जैसा है" के आधार पर निःशुल्क प्रदाय हेतु उपलब्ध है।

गीली राख (पोंड एश) का उपयोग विभिन्न स्थानों जैसे कि सड़क निर्माण के दौरान भराव हेतु, खाली खदानों के भराव/प्रष्ठ भरण में, कृषि कार्य हेतु, ब्रिक्स, ब्लाक्स एवं टाइल्स के निर्माण या अन्य किसी भी कार्य में किया जा सकता है।

इच्छुक व्यक्ति, उद्यमी, सरकारी संस्थान एवं अन्य संस्थाएँ संजय गाँधी ताप विद्युत गृह, बिरसिंहपुर से पोंड एश निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। राख प्राप्ति हेतु दीर्घकालीन अनुबंध ताप विद्युत गृह से किया जा सकता है।

उपरोक्त विषय में अनुमति प्राप्त करने हेतु विस्तृत जानकारी के लिये इच्छुक उद्यमी संस्थाएँ, अधीक्षण अभियंता (संचालन)-तीन, फोन नं: 07655-260222 संजय गाँधी ताप विद्युत गृह, म0प्र0पा0ज0क0लि0, बिरसिंहपुर से सम्पर्क करें अथवा लिखें।

"विद्युत की बचत कीजिये"

(वी. के. कैथवार)

मुख्य अभियंता (उत्पादन)

सं.गा.ता.वि.गृ., म0प्र0पा0ज0क0लि0, बिरसिंहपुर